न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 28/2021
दायर दिनांक : 05/04/2021
निर्णय दिनांक : 18/11/2024

उनवान

1. किशनलाल पिता हीरालाल कुम्हार निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. जगदीश पिता छोगालाल ब्राहम्ण निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
2. रामकुंवर पत्नी गणपतसिंह बड़वा निवासी रायपुरियाकलां तहसील भूपालसागर
3. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री पवन जायसवाल, वादी अधिवक्ता

:: निर्णय ::

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंर्तगत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:–

यह कि ग्राम ग्राम आकोला प.ह. आकोला के खाता सं. 953 के आ.सं. 5125 रकबा 0.53 हे. किता 1 लगानी 1.59 रूपये व खाता सं. 954 के आ.सं. 5121 रकबा 0.05 हे., आ.सं. 5122 रकबा 0.03 हे., आ.सं. 5123 रकबा 0.03 हे. किता 3 रकबा 0.11 हे. लगानी 0.06 रूपये स्थित है, जिसमें मुझ वादी का 2/3 हक हिस्सा निहित है, इसी अनुसार वादी कब्जे काश्त होकर अपने हिस्से पर काश्त कर रहा है वास्ते सबूत हाल जमाबंदी की नकल वाद पत्र के साथ संलग्न है। उक्त आराजियात कैलाश पिता छोगालाल के खातेदारी एवं कब्जे की थी श्री कैलाश पिता छोगालाल ने वादी किशनलाल पिता हीरालाल कुम्हार को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया तब से वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से बराबर हक से हिस्से से काबिज चले आ रहे हैं इस प्रकार वादी का उक्त आराजियात में 2/3 हक हिस्सा निहीत है। उपरोक्त आराजियात मुझ वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर उपयोग उपभोग मौखिक विभाजन अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं और विभाजन नहीं होने के कारण लगान जमा कराने, फसल काश्त करने, मेडबन्दी, हकाई, बुवाई इत्यादि में समस्या रहती है तथा भूमि कम ज्यादा होने का विवाद बना रहता है आये दिन लडाई झगडा होता रहता है इस कारण उपरोक्त वाद वर्णित आराजियात का [illegible] प्रत्येक खाते में 2/3, 2/3 हक हिस्से को अलग अलग खाते में दर्ज कराया जाना [illegible] तथा लगानबंदी भी अलग दर्ज कराई जाकर स्वतंत्र खाते दर्ज कराया जाना आवश्यक [illegible] वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के हक हिस्से की बंटवारा आराजियात की डिक्री जारी फरमाई [illegible]

इस बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई [illegible] बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.11.2022 के द्वारा [illegible]सीलदार, भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवानें हेतु भेजा गया। तहसीलदार, भूपालसागर के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी को अग्रिम सूचना पत्र जारी कर पटवार हल्का एवं भू अ. निरीक्षक, आकोला के साथ राजस्व रिकार्ड व मौका निरीक्षण कर बंटवारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक/भू.अ./2024/714 दिनांक 30.07.2024 से प्रेषित किया गया, जो शामिल पत्रावली है। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा करने में कोई आपत्ति नहीं है एवं अंतिम डिक्री जारी की जावे। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.20 09:56:32 IST
Reason: SelfAttested

नहीं है एवं अंतिम डिक्री जारी की जावे। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दिये जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा –

क्रसं	काश्तकार	आ.न.	रकबा	लगान
1	श्री किशनलाल पिता हीरालाल कुम्हार नि. आकोला रहन एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा फतहनगर	5121 5122 5123 5125 मी.	0.0500 0.0300 0.0300 0.3166	0.10 0.06 0.06 0.95
	योग	4	0.4266 है.	1.17
2	जगदीश पिता छोगालाल ब्राहम्ण सा. देह 2022/2134 रामकुंवर पत्नी गणपतसिंह बड़वा 112/2134 सा. रायपुरियाकलां	5125 मी.	0.2134	0.94
	योग	1	0.2134 है.	0.94

उक्त आराजियातों यथा आ.सं. 5121, 5122, 5123, 5125 में किशनलाल पिता हीरालाल कुम्हार के हक हिस्से तक रहन दर्ज होने से बंटवारा आदेश पश्चात उक्त आराजियातों यथा 5121, 5122, 5123 के सम्पूर्ण रकबे पर तथा नए आ.सं. 5125 मी. रकबा 0.3166 है. (नक्शा अनुसार) पर श्री किशनलाल पिता हीरालाल कुम्हार के रहन दर्ज रहेगा व सह खातेदार जगदीश पिता छोगालाल ब्राहम्ण की आ.सं. 5125 मी. रकबा 0.2134 है. रहन मुक्त रहेगा।

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावे। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.20 09:56:32 IST
Reason: SelfAttested